एनओसी के बिना चल रहे निजी अस्पतालों को सील करने का निर्देश

मुंबई, 18 अप्रैल (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने गुरुवार को ठाणे नगर निगम को निर्देश दिया कि अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) हासिल किए बिना चल रहे सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों को सील किया जाए।

मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति एनएम जामदार के पीठ ने कहा कि अगर अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन करने के लिए ठाणे नगर निगम और अग्निशमन विभाग द्वारा अस्पतालों को दिए गए नोटिसों के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ तो इस तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं को बंद करना ही बेहतर है। पीठ आरटीआई कार्यकर्ता सपन श्रीवास्तव द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा था। याचिका में दावा किया गया कि इस साल की शुरुआत में ठाणे अग्निशमन विभाग के एक सर्वेक्षण में खुलासा हुआ कि ठाणे में 50 फीसद से अधिक निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों में आग की घटनाओं से निपटने के लिए तैयारी नहीं है।

नगर निगम के वकील अरविंद अश्वनी द्वारा दायर एक हलफनामे में कहा गया है कि नगर निकाय के स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल 380 से अधिक अस्पतालों के पंजीकरण का नवीनीकरण किया, लेकिन अग्निशमन विभाग द्वारा केवल 181 अस्पतालों को ही एनओसी जारी किया गया। पिछले साल दिसंबर में मुंबई के ईएसआइसी अस्पताल में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई थी।

भाजपा के रहते कश्मीर भारत से अलग नहीं होगा : शाह

रायगढ़, 18 अप्रैल (भाषा)।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि भाजपा सत्ता में रहे या न रहे, लेकिन जब तक पार्टी का एक भी कार्यकर्ता है, तब तक कश्मीर को भारत से अलग नहीं किया जा सकता।

शाह ने गुरुवार यहां विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के साथी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर दूसरा प्रधानमंत्री चाहते हैं, 'मैं राहुल गांधी से पूछ रहा हूं कि उमर अब्दुल्ला के दो प्रधानमंत्री वाले बयान पर आप अपना रुख स्पष्ट करें, लेकिन राहुल बाबा कुछ भी नहीं बोल रहे हैं।' भाजपा अध्यक्ष ने कहा, 'राहुल बाबा, सुन लो, अभी मोदी जी की सरकार है, फिर से मोदी जी की ही सरकार आने वाली है। लेकिन यदि हम सत्ता में न भी आए, उस स्थिति में जब तक भाजपा के एक भी कार्यकर्ता के शरीर में प्राण हैं, तब तक कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई भी अलग नहीं कर सकता। कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। अगर कोई कहता है कि उसे हम देश से अलग करेंगे तो देश की जनता इसे सहन नहीं करेगी।'

शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने देश को सुरक्षित किया है। पिछले दिनों पुलवामा में आतंकी हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। देश में गुस्सा था। 'लेकिन यह नरेंद्र मोदी की सरकार थी मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी। जवानों की तेरहवीं के दिन ही हमारी वायु सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकवादियों का अड्डा तहस नहस कर दिया।'

उन्होंने कहा, 'एयर स्ट्राइक होने पर देश में खुशी का माहौल था। लेकिन दो जगह पर मातम था। एक पाकिस्तान में ... क्योंकि वहां होना ही चाहिए था, और दूसरा ... राहुल बाबा एंड कंपनी के कार्यालय में मातम था। उनके गुरु सैम पित्रोदा ने कहा है कि कुछ बच्चों ने गलती कर दी है, उनसे हमें बातचीत करना चाहिए। हमारे 40 जवानों को मारने वालों के साथ क्या कोई बातचीत करनी चाहिए?'

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आतंकवाद को लेकर भाजपा की नीति स्पष्ट है, 'वहां से गोली आएगी, तो यहां से गोला जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हम आतंकवादियों से बातचीत नहीं करेंगे। भाजपा आतंकवादियों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।'

शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस धारा 370 नहीं हटाने के पक्ष में है, 'हमने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि धारा 370 हटाई जाएगी। दूसरा मुद्दा घुसपैठियों का है। कांग्रेस कह रही है कि एनआरसी मत लाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बना दो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर गुजरात तक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालने का काम भाजपा की सरकार करेगी। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, देश के लिए दीमक हैं।' भाजपा अध्यक्ष ने घोषणा पत्र में किए गए वादे दोहराते हुए कहा कि किसानों को शून्य फीसदी ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। उन्हें पेंशन दी जाएगी।

शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वह देश में जहां भी गए हैं, लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। इसके पीछे देश की 50 करोड़ गरीबों की अपेक्षा और आशाएं जुड़ी हैं। कांग्रेस ने देश में 55 साल राज किया लेकिन विकास के लिए कुछ नहीं किया। पिछले पांच साल में भाजपा की सरकार ने देश के गरीबों के लिए उचित तरीके से काम किया और गरीबों के कल्याण के क्षेत्र में कई कदम उठाए। इस पांच साल के दौरान गांव में गरीबों के लिए घर बने, नई सड़कें बनीं। नई रेल लाइनें बनीं।

उन्होंने इस दौरान छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को भी घेरा और कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले सीबीआइ पर प्रतिबंध लगाया। उन्हें सीबीआइ से क्यों डर लगता है? राज्य पर चार माह के भीतर 10 हजार करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। सीमेंट के दाम पर भूपेश बघेल टैक्स लग गया है। राज्य में कानून व्यवस्था बदहाल है और यहां तबादला इंडस्ट्री चालू हो गई है।

छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए तीन चरणों में मतदान निर्धारित है। पहले चरण में 11 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट के लिए मतदान संपन्न हुआ। दूसरे चरण में आज 18 अप्रैल को कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद लोकसभा सीट के लिए मतदान हो रहा है। तीसरे चरण में 23 अप्रैल को रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा।

महाराष्ट्र : कार से 19 लाख रुपए की नकदी जब्त

ठाणे, 18 अप्रैल (भाषा)।

एक चुनाव निगरानी दल ने महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक कार से 19 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। यहां चुनाव कार्यालय ने यह जानकारी दी।

एक विज्ञप्ति में कहा गया कि टीम ने बुधवार को यहां कोलशेट क्षेत्र में एक वास्तुकार– दुर्गेश नाडकर्णी की कार को बीच रास्ते में रोका तो उन्हें उसमें नकद राशि मिली। नाडकर्णी ने दावा किया कि वह नवी मुंबई में कुछ निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों को भुगतान करने के लिए नकदी ले जा रहा था। इसमें बताया गया कि आयकर विभाग को जब्ती के बारे में सूचित किया गया है और उसके अधिकारी मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे। ठाणे लोकसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को मतदान होगा।

दूसरे चरण के चुनाव में श्रीनगर से लगभग 44 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित बाबा नगरी में मतदान केंद्र से लौटती कश्मीरी महिलाएं

केंद्रीय मंत्री रविशंकर के खिलाफ मुकदमा दायर

पटना, 18 अप्रैल (भाषा)।

पटना की एक अदालत में भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उनके निजी सहायक, भाजपा के दो विधायकों और अन्य लोगों के खिलाफ गुरुवार को एक मुकदमा दर्ज कराया है। शिकायतकर्ता संजीव वर्मा ने पिछले महीने जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा परिसर में उनके साथ मारपीट और लूट का आरोप लगाते हुए पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार गुंजन की अदालत में भादंवि की धारा 147, 323, 379 और 392 के तहत मुकदमा गुरुवार को दायर कराया है। इसमें रविशंकर, विधायक अरुण कुमार सिन्हा और नितिन नवीन, कानून मंत्री के पीए संजीव कुमार सिंह और पांच अन्य लोगों के अलावा 10 अनाम लोगों को आरोपी के तौर पर नामित किया गया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले की सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल निर्धारित की है और शिकायतकर्ता को उस दिन व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का निर्देश दिया।

वर्मा ने आरोप लगाया है कि वे 23 मार्च को हवाई अड्डे पर थे, जब पटना साहिब सीट से भाजपा के उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद रविशंकर पहली बार पटना शहर आए थे। उन्होंने बताया कि कुछ असंतुष्ट भाजपा समर्थक घटनास्थल पर मौजूद थे जो केंद्रीय मंत्री को उम्मीदवार घोषित किए जाने से नाराज थे और उन्होंने कुछ अन्य उम्मीदवारों के दावे की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया था।

शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि वे अपने कुछ दोस्तों के साथ घटनास्थल पर मौजूद थे और वे लोग उन आंदोलनकारियों के साथ किसी भी तरह से जुड़े नहीं जुड़े थे जो रविशंकर प्रसाद वापस जाओ के नारे लगाते हुए काले झंड़े लहरा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया किया कि जब रविशंकर के समर्थक हिसंक हो गए, तो वे और उनके सहयोगी खुद को बचाने के लिए उस जगह से दूर जाने लगे लेकिन मंत्री और दोनों विधायकों ने उनका पीछा करने और उन पर हमला करने के लिए अपने समर्थकों को उकसाया। शिकायतकर्ता वर्मा ने बताया कि रविशंकर की उम्मीदवारी का विरोध करने का साहस करने का आरोप लगाते हुए उनके समर्थकों ने उन्हें पकड़ लिया और गालियां देने के साथ ही कई घूंसे मारें। हमलावरों ने उनकी शर्ट की जेब में रखे 3500 रुपए भी छीन लिए थे।

वर्मा ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी लिखित शिकायत पर विचार करने से इनकार कर दिया और जब वह पार्टी कार्यालय गए, तो पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया गया कि उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। भाजपा सूत्रों ने वर्मा के पार्टी के साथ जुड़े होने की तत्काल पुष्टि नहीं की है। रविशंकर पटना साहिब से भाजपा के उम्मीदवार हैं और उनका सीधा मुकाबला हाल ही में भाजपा छोड कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा से लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में होगा।

बालाकोट हवाई हमले में पाक सैनिक या नागरिक की मौत नहीं : स्वराज

अमदाबाद, 18 अप्रैल (भाषा)।

विदेश मंत्री और भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने गुरुवार को कहा कि फरवरी में पुलवामा आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए हवाई हमले में किसी भी पाकिस्तानी सैनिक या नागरिक की मौत नहीं हुई।

महिला पार्टी कार्यकर्ताओं को यहां संबोधित करते हुए उन्होंने 2014 की तरह पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार पर जोर दिया और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो चाहते थे वह नहीं कर पाए, क्योंकि वह गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट इलाके में जैश–ए मोहम्मद के एक आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाया था। स्वराज ने कहा कि आत्मरक्षा में हवाई हमले को अंजाम दिया गया था। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के बाद जब सीमा पार हवाई हमला किया तो हमने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बताया कि हमने केवल आत्मरक्षा में ऐसा कदम उठाया है।

विदेश मंत्री ने कहा कि हमने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कहा था कि सशस्त्र बलों को निर्देश दिया गया था कि हमले में किसी भी पाकिस्तानी नागरिक या सैनिक को नुकसान नहीं हो। उन्होंने कहा कि सेना को कहा गया था कि केवल जैश–ए मोहम्मद के आतंकी शिविरों को निशाना बनाएं, जिसने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी।

भारत विरोधी बयानों को लेकर विहिप चुनाव आयोग से मिला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 अप्रैल।

तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों व नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी के प्रमुख नेताओं द्वारा बार बार दिए जा रहे भारत विरोधी बयानों व धमकियों के साथ कश्मीर घाटी के बहुसंख्यक मुसलिम समाज और अल्पसंख्यक गैर मुसलिमों के बीच वैमनष्य पैदा करने के विरुद्ध शिकायत करने विश्व हिंदू परिषद (विहिप) का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को चुनाव आयोग से मिला। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष एडवोकेट आलोक कुमार के नेतृत्व में गए प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से कहा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की बहु संख्यक मुसलिम आबादी का हवाला देते हुए वहां के माहौल को जानबूझकर योजनापूर्वक सांप्रदायिक बनाने की कुचेष्टा की है। अतः इन नेताओं द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन करने के कारण इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। आयोग ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है।

विहिप ने चुनाव आयोग को सौंपे विस्तृत ज्ञापन में तथ्यों के साथ कहा है कि तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कश्मीर को भारत से अलग करने की धमकी देते हुए जिस शब्दावली का प्रयोग किया है उससे स्पष्ट होता है कि ये नेता सीधे–सीधे पाकिस्तान की उंगलियों पर नाचते हुए भारत के दुश्मन को पूर्व नियोजित तरीके से समर्थन कर रहे हैं। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि इन नेताओं द्वारा बार बार कश्मीर की बहुसंख्यक मुसलिम आबादी पर जोर देना, मामले को सांप्रदायिक बना कर वहां रह रहे गैर मुसलिम अल्पसंख्यकों से वैमनश्य को बढ़ाने का भी सुनियोजित प्रयास है।

तीन गांजा तस्कर गिरफ्तार

हैदराबाद, 18 अप्रैल (भाषा)।

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) के अधिकारियों ने बुधवार को हैदराबाद के निकट एक ट्रक से 1,000 किलोग्राम से अधिक नशीला पदार्थ गांजा जब्त करके तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

आखिरी दिन कई प्रमुख प्रत्याशियों ने भरे परचे

जनसत्ता ब्यूरो
जयपुर, 18 अप्रैल।

राजस्थान में गुरूवार को दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन कई प्रमुख प्रत्याशियों ने परचे दाखिल किए। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के परचा दाखिल करने के दौरान उनके विरोधियों ने काले गुब्बारे उड़ा कर विरोध जताया।

दूसरी तरफ चूरू में कांग्रेस के उम्मीदवार रफीक मंडेलिया की नामांकन सभा में पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवां ने भाजपा छोड़ दी। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होने का एलान किया।

लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में अब प्रचार चरम पर पहुंच रहा है। प्रदेश में पहले चरण का चुनाव 13 सीटों पर 29 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण में छह मई को 12 सीटों पर मतदान होगा। मुख्य मुकाबले वाले दोनों दलों कांग्रेस और भाजपा ने अपनी अपनी जीत की रणनीति बना ली है। कांग्रेस ने ऐसी रणनीति बनाई है कि भाजपा चारों तरफ से घिर जाए। भाजपा को उसके ही चुनावी मुद्दों पर घेरने में कांग्रेस लग गई है।

जयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी सचिव विवेक बंसल ने मोर्चा संभाल लिया है और शहर सीट जीतने की रणनीति में लग गए हैं। बंसल का कहना है कि पार्टी के सभी बड़े नेता चुनावी अखाड़े में सक्रिय हो गए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत की अगुआई में प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे लगातार दौरे कर कांग्रेस को सक्रिय कर रहे है। भाजपा की मजबूत सीट माने जाने वाली जयपुर, अजमेर, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा में कांग्रेस मजबूत स्थिति में पहुंच गई है।

दूसरी तरफ भाजपा की कमान प्रदेश प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संभाल ली है। जावडेकर ने कहा कि प्रदेश की सभी 25 सीटों पर भाजपा की जीत तय है। प्रदेश में कमजोर बूथों की पहचान कर उनमें अतिरिक्त कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। देश की जनता एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में सरकार बनाने की तैयारी में है। भाजपा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है।

प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी का कहना है कि जनता एक बार फिर से 2014 जैसे ही नतीजे देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतरी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई है।

प्रपत्र सं. आईएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए विज्ञापन

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के

उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

हैमलेट ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय बी–502, स्टेट्समेन हाउस, 148, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001 में है, के मामले में ---

आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''रा.रा. क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 10.04.2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, के पतेः बी–2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेंः बी–502, स्टेट्समैन हाउस, 148, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001

कृते एवं के लिये
हैमलेट ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./–
दिलावर सिंह बसरौन
निदेशक

तिथिः 19.4.2019
स्थानः नई दिल्ली

फार्म जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति
{दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अंतर्गत}
अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संभावित प्रस्ताव आवेदकों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	19 जून, 2007
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत हैं	कंपनी रजिस्ट्रार–दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ सीमित दायित्व पहचान संख्या	U45400DL2007PLC164905
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय (एमसीए डैटा के अनुसार) बी–100, दूसरा तल, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, दिल्ली दक्षिण पश्चिम दिल्ली–110028 वेबसाईटः www.earthinfra.co.in
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का दिवाला आरंभ होने की तिथि	6 जून, 2018–आदेश की तिथि
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	19 अप्रैल, 2019
8.	संहिता की धारा 25 (2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध हैः	यह जानकारी earth.cirp@gmail.com पर ई–मेल भेजकर मांगी जा सकती है।
9.	धारा 29 ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	यह जानकारी earth.cirp@gmail.com पर ई–मेल भेजकर मांगी जा सकती है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	4 मई, 2019
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	14 मई, 2019
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	19 मई, 2019
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	29 मई, 2019
14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	19 मई, 2019
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला विनियमन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36 बी(1) के अंतर्गत उसे प्राप्त करने के लिए योग्य सभी संभावित प्रस्ताव आवेदकों (पीआरए) के लिए इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में शेयर की जाएगी।
16.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	18 जून, 2019
17.	प्रस्ताव कर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	प्रस्तावकर्मी के पते अर्थात् खण्डेलवाल जैन एंड क., चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स, जी–8 एवं 9, हंस भवन, बीएसजेड मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली–110002 पर डाक द्वारा अथवा मुहरबंद लिफाफे में हाथों–हाथ डेलिवरी द्वारा जिसके बाद ईमेल द्वारा उसकी पुष्टि की जाएगी।
18.	स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि	8 जुलाई, 2019
19.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	अकाश सिंघल पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00137/2017-18/10279
20.	बोर्ड में यथा–पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई–मेल	अकाश सिंघल इन्साल्वेन्सी प्रॉफेश्नल खण्डेलवाल जैन एंड क., चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स, जी–8 एवं 9, हंस भवन, बीएसजेड मार्ग आईटीओ, नई दिल्ली–110002, akash@kjco.net
21.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	खण्डेलवाल जैन एंड क., चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स, जी–8 एवं 9, हंस भवन, बीएसजेड मार्ग आईटीओ, नई दिल्ली–110002, earth.cirp@gmail.com
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं	विवरण www.earthinfra.co.in पर उपलब्ध है अथवा earth.cirp@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	19 अप्रैल, 2019

टिप्पणीः
दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया की समाप्ति की अनुमानित तिथि 29 अप्रैल 2019 है। पुनः सीओसी की स्वीकृति दर कॉर्पोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया (सीआईआरपी) की पूर्णता की अवधि से 114 दिनों को अलग करने के लिये आवेदन निर्णयकर्ता प्राधिकरण के पास दाखिल किया गया है।
अतः वर्णित तिथि निर्णयकर्ता प्राधिकरण द्वारा सीआईआरपी अवधि से 114 दिनों को अलग करने की स्वीकृति पर सीआईआरपी की समाप्ति की अनुमानित तिथि 21 अगस्त, 2019 होगी।

आकाश सिंघल
अर्थ इस्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिये रिजॉल्यूशन प्रॉफेशनल
पंजी. सं.IBIBI/IPA-001/IP-P00137/2017-18/10279
कार्यालय पताः जी–8 एवं 9, हंस भवन, बीएसजेड मार्ग, नई दिल्ली–110002
टेलीफोन नं. 011–23370091

तिथि : 19 अप्रैल, 2019 — **ईमेल आईडीः earth.cirp@gmail.com**
स्थानः नई दिल्ली — **akash@kjco.net**

अपमानजनक टिप्पणी को लेकर केरल भाजपा प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज

तिरुवनंतपुरम, 18 अप्रैल (भाषा)।

केरल पुलिस ने भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख पीएस श्रीधरन पिल्लई द्वारा की गई इस्लाम विरोधी टिप्पणी को लेकर एक मामला दर्ज कर लिया है। यह मामला माकपा नेता वी सिवनकुट्टी की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 व 153 ए के तहत दर्ज किया गया। धारा 153 ए के अनुसार धर्म, मूलवंश, भाषा, जन्म–स्थान, निवास–स्थान, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित है।

शिकायत में कहा गया है कि पिल्लई ने अट्टींगल लोकसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशी शोभा सुरेंद्रन के पक्ष में 14 अप्रैल को आयोजित एक चुनावी बैठक में बालाकोट हवाई हमले का जिक्र करते हुए मुसलमान समुदाय के प्रति कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की। केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) टीका राम मीणा ने पिल्लई की टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ 'समुचित कदम' उठाए जाने की अनुशंसा की।

मीणा ने कहा है कि पिल्लई ने यह बयान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के बालाकोट हवाई हमलों में मारे गए लोगों की संख्या के बारे में की गई टिप्पणियों को लेकर दिया। सीईओ की चुनाव आयोग को भेजी रिपोर्ट में इस टिप्पणी को यथावत लिखा भी गया है। सीईओ ने 16 अप्रैल को दी अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाजपा ने बैठक की अनुमति नहीं ली और तिरुवनंतपुरम जिले के अट्टींगल थाने में एक शिकायत दर्ज की गई है।

मीणा ने उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन को भेजी रिपोर्ट में कहा, 'ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (3 क) और धारा 125 के उल्लंघन का एक मामला बनता है जिसके अनुरूप इस मामले में समुचित कदम उठाया जा सकता है।' बुधवार को सीईओ ने हाई कोर्ट को सूचित किया था कि पिल्लई के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा।

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India
BOI
अधिग्रहण सूचना

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी **बैंक ऑफ इण्डिया** द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की सपठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना जारी की गई थी तथा ऋणी को मांग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है, का भुगतान सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था। ऋणगृहिता के द्वारा यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणगृहिता और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13 (4) सपठित उप नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्तियों का आधिपत्य ग्रहण कर लिया गया है। ऋणगृहिता को विशिष्ट रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार (क्रय– विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और निम्नलिखित सम्पत्ति का किसी प्रकार से कोई क्रय– विक्रय **बैंक ऑफ इण्डिया** के पक्ष में देय बकाया राशि, ब्याज एवं अन्य व्यय के भार के अधीन होगा। **ऋणी को सुरक्षित परिसम्पत्ति के आधार पर धारा 13 के उपधारा (8) के प्रावधान के अन्तर्गत दिये गये समय में आमंत्रित कर रहे हैं।**

क्र. सं.	उधारकर्ता / जमानतकर्ता का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण / सम्पत्ति मालिक का नाम	बकाया धनराशि (₹) धारा 13 (2) के अनुसार मांग सूचना / अधिग्रहण की तिथि
शाखा : 5–डी, सरोजिनी नगर कोऑपरेशन हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ–226008			
1	ऋणी : श्रीमती नीलम सिंह पत्नी श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	साम्यिक बंधक सम्पत्ति, **स्वामी** : श्रीमती नीलम सिंह पत्नी श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, स्थित मकान नं. 66, खसरा नं. 960 (भाग), जय राजपुरी (हाइडल), वार्ड–सरोजिनी नगर, लखनऊ, **क्षेत्रफल** : 2280 वर्ग फीट **चौहद्दी : पूर्वः** 12 फीट चौड़ा रोड, **पश्चिमः** हाइडल की सीमा, **उत्तरः** गोकरनाथ तिवारी का मकान, **दक्षिणः** एस.पी. शाह का मकान	₹ 15,90,940.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 30.06.2016 से / 01.09.2016 / 18.04.2019
2	ऋणी : मेसर्स जोया इण्टरप्राइजेज, प्रो. श्रीमती रहमाना फातिमा पत्नी मो. ज़फर; जमानतकर्ता : मो. ज़फर पुत्र स्व. मो. इशाक	खसरा नं. 559/1 एवं 559/2 का 1/5वां भाग स्थित ग्राम–फर्रुखाबाद चिल्लावॉं, परगना–बिजनौर, तहसील एवं जिला–लखनऊ **चौहद्दी : पूर्वः** अन्य भूमि, **पश्चिमः** रास्ता/खुली भूमि, **उत्तरः** बाबू लाल यादव का प्लॉट, **दक्षिणः** आर.एस. यादव का प्लॉट	₹ 11,19,008.48 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 27.07.2018 से / 27.07.2018 / 18.04.2019

दिनांक : 19.04.2019, स्थान : लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया